

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART- IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

No.F.27 (12)/CIF/2001/Lab./10007-10021


Dated the 09/09/2013

NOTIFICATION

No. F.27 (12)/CIF/2001/Lab./10007-10021 - In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 8 of the Factories Act, 1948, (63 of 1948) read with Government of India, Ministry of Labour and Employment, Notification No.S.O.108 dated the 14th February, 1958, and the Ministry of Home Affairs Notification S.O. No.2709 dated the 7th September, 1966, the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. J. N. Jain and Sh. S. Pandia Rajan to be the Deputy Chief Inspector of Factories in the National Capital Territory of Delhi, to assist the Chief Inspector of Factories, Delhi with immediate effect. They shall also exercise the powers of Chief Inspector of Factories in respect of the matters specified below, subject to the control of the Chief Inspector of Factories:-

- (i) renewal of Factory Licences; and
- (ii) amendments in Factory Licences

By order and in the Name of the
Lt. Governor of the Government of
National Capital Territory of Delhi, Delhi,


(Ramesh Tiwari)
Secretary (Labour)

Govt. of National Capital Territory of Delhi


No.F.27 (12)/CIF/2001/Lab./10019

Dated 09/09/2013

Copy forwarded to:-


1. Secretary to Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
2. The Directorate General Factory Advise Service and Labour Institutes, Ministry of Labour, Government of India, Vyavasayik Suraksha Aur Swasthya Bhawan, N.S. Mankikar Marg, Sion, Mumbai-400022.

Contd...2/pg



3. Secretary to the Lt. Governor of Delhi.
4. Secretary to the Minister of Labour, Government of Delhi.
5. Law & Judicial Department, Government of NCT of Delhi.
6. Delhi Factory Owners' Federation, 43/5, Kanti Nagar Main, Krishna Nagar, Delhi-110051
7. PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, Opposite Asiad Village, New Delhi.
8. Labour Commissioner, Government of Delhi.
9. Addl. Labour Commissioner, Government of Delhi.
10. Joint Labour Commissioner, Government of Delhi.
11. Chief Inspector of Factories, Delhi.
12. Dy. Chief Inspector of Factories, Delhi.
13. Asstt. Director (P & S), Labour Department, Delhi.
14. Inspector of Factories and Certifying Surgeon, Delhi.
15. Librarian, Labour Department, Delhi.
16. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, Tansen Marg, New Delhi.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi


(Ramesh Tiwari)
Secretary (Labour)
Govt. of National Capital Territory of Delhi



(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
(श्रम विभाग)
5- शामनाथ मार्ग : दिल्ली-110054

सं.एफ.27(12) सी.आई.एफ / 2001 / श्रम / 10007-10021

दिनांक: 09/09/2013

अधिसूचना

सं.एफ.27(12) सी.आई.एफ / 2001 / श्रम / 10007-10021 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 फरवरी, 1958 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 108 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 7 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना एस.ओ. संख्या 2709 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्या 63) की धारा 8 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक, दिल्ली के सहयोगार्थ अधिकारी सर्वश्री जे एन जैन एवं सर्वश्री एस पाण्डिया राजन को उप-मुख्य निरीक्षक कारखाना नियुक्त करते हैं।

वे निम्न विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक के नियंत्रण में होंगे:-

1. कारखाना लाइसेंसों का नवीनीकरण एवं
2. कारखाना लाइसेंसों का सशोधन

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

रमेश
(रमेश तिवारी)
सचिव (श्रम)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ.27(12) सी.आई.एफ / 2002 / श्रम / 10007-10021

दिनांक: 09/09/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसरित:-

1. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

क्रमष:.....2

2. महानिदेशक, कारखाना सलाहकार एवं श्रम संस्थान, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार
व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य भवन, एन.एस.मनकीकार मार्ग, साईन
मुम्बई-400022
3. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
4. सचिव, श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. सलाहकार (एल0 एवं जे0) विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार।
6. श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
7. दिल्ली फैक्ट्री आनर्स फेडरेशन, 43/5, कांती नगर मेन, कृष्णा नगर,
दिल्ली-110051
8. पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इण्डस्ट्रीज, पी.एच.डी. हाउस, एशियाड
विलेज, नई दिल्ली।
9. अतिरिक्त श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
10. संयुक्त श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
11. मुख्य कारखाना निरीक्षक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
12. उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
13. सहायक निदेशक (योजना एवं सांख्यिकी) श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार, दिल्ली।
14. कारखाना निरीक्षक एवं प्रमाणक चिकित्सक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार, दिल्ली।
15. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
16. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज, तनसेन मार्ग, नई
दिल्ली।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

रमेश

(रमेश तिवारी)

सचिव (श्रम)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार